प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 108/23 दिनांक 5/5/2023

2. (1) धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं.।

   (2) अधिनियम – धाराये .....–.....

   (3) अधिनियम .....–..... धारायें.....–.....

   (4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....106.....समय.....5:00 pm.....
   (ब) अपराध के घटने का दिन – गुरूवार दिनांक–04.05.2023 समयः– 12:30 पीएम।
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –02.05.2023 समय.– 04.30 पीएम।

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 80
   (ब) पता :– जोधपुर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर स्थित सरकारी स्कूल बनाड़ के सामने।
   .....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   1. परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति शर्मा निवासी ब्राम्हणो का बास, बनाड़ जिला जोधपुर।
   2. सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी आदर्श स्कूल के सामने, बनाड़ जिला जोधपुर।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री शैतान सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी गांव मुण्डिया खेड़ा पुलिस थाना गुण्डार जिला अलवर, हाल अधिकृत सर्वेयर आई.सी.आई. सी.आई. प्रोडिन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी।
   2. सह आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल पुत्र श्री घेवरराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 129, आदेश्वर नगर झंवर रोड़ जोधपुर हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर।
   3. श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर अधिकृत कार्मिक Delhi Bassed Credentials Agency, Udaipur, निवासी : डुंगरपुर।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

Scanned with CamScanner

सेवामें

श्रीमान ए.एस.पी.
ए.सी.बी. पाली मिलिय,
पाली।

विषय— रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

मान्यवरजी,

निवेदन है कि मैं जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व.श्री भंवरलाल शर्मा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों का बास बनाड़, जिला जोधपुर का निवासी हूं, मेरे पिताजी श्री भंवरलालजी ने इण्डसंड बैंक पावटा जोधपुर से जेसीबी मशीन पर करीबन 28-29 लाख का लोन लेकर मशीन खरीदी थी, लोन के समय आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाईफ इन्शोरेन्स कम्पनी से बीमा उसी समय करवाया था। मेरे पिताजी की दिनांक 02.01.2023 को मृत्यु हो गई। जेसीबी मशीन की बकाया राशि का लोन नियमानुसार बीमा होने से माफ हो जाता है, इस लोन के माफ हेतु मैंने करीबन दो महिने पहले इण्डसंड बैंक पावटा जोधपुर में आवेदन जमा करवाया था, तथा जरूरी कागजात भी दिये थे। दिनांक 01.05.2023 को बीमा कम्पनी के दो अधिकारी कृष्ण कुमार मीणा व सत्येन्द्र पांचल बीमा क्लेम की कोरा जांच हेतु मेरे घर आये तथा बीमा क्लेम करवाने के लिये मेरे से बकाया लोन का 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की गई। मैं मेरे इस जायज काम के बदले इन दोनो बीमा कम्पनी के अधिकारीयों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। इन दोनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इन दोनो से कोई रंजिश नही है, तथा ना हि कोई लेन-देन उधार आदि भी बकाया है। रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे।

भवदीय—एसडी— श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरलाल निवासी वनाड—जोधपुर, ब्राम्हणो का बास, 8005655308 एवं सह परिवादी एस.डी:—श्री केवलराम चौधरी पुत्र स्व. श्री तुलसीरामजी निवासी आदर्श स्कूल के सामने, बनाड़ जोधपुर, मो.नं. 9782587000

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 02.05.2023 समय 4:30 पी.एम.</u>

इस समय दर्ज रहे कि श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली—द्वितीय जो कि उपार्जित अवकाश पर है, जिन्होंने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि "मेरे पास श्री केवलराम चौधरी का फोन आया था, जिसने इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकारियो द्वारा बीमा क्लेम करवाने की ऐवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की है, जिसको मैंने अवकाश पर होना बताया। श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक ने श्री केवलराम चौधरी के मोबाईल नम्बर 9782587000 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिये। पुलिस निरीक्षक की सूचना के कम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री केवलराम चौधरी के मोबाईल नं. 9782587000 पर कॉल कर वार्ता की तो श्री केवलराम चौधरी नें बताया कि "मेरे गांव के जितेन्द्र शर्मा के पिता श्री भंवरलाल शर्मा की मृत्यु हो गयी थी, जिन्होने जे.सी.बी. मशीन पर इण्डसइण्ड बैंक से लोन लिया था तथा लोन के समय आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी से उनका बीमा भी हो रखा था। इस बीमा क्लेम के लिये श्री जितेन्द्र शर्मा नें इण्डसण्ड बैंक में आवेदन कर रखा है तथा आवश्यक कागजात भी जमा करवा दिये गये। उसके बाद बीमा कम्पनी से जांच हेतु अधिकारी आये थे, जो जांच कर आवश्यक कागजात ले गये। अब पुनः दो व्यक्ति क्रोसिंग जांच के लिये आये है, जो बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के लिये जितेन्द्र शर्मा से 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे है। यह बात श्री जितेन्द्र शर्मा नें मुझे बताई। साथ ही यह भी बताया कि मैं मेरे जायज काम के बदले इन बीमा कम्पनी के अधिकारियो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्री केवलराम चौधरी के बतायेनुसार परिवादी के तथ्यो पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें श्री केवलराम चौधरी व श्री जितेन्द्र शर्मा को ए.सी.बी. कार्यालय पाली आने के लिये कहा तो उन्होने पाली आने में असमर्थता जाहिर की, तो मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें उनको जोधपुर में ही मिलने की समझाईश कर उनका पता पूछकर मिलने का स्थान बनाड़ "जोधपुर" तय किया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री चम्पालाल मुआ

(2)

100 व कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एंव लेपटॉप, प्रींटर मय आवश्यक सामग्री के परिवादी से सम्पर्क करने हेतु पाली से वक्त 2:30 पी.एम पर जरिये निजी वाहन से रवाना होकर बनाड़ जोधपुर पंहुचा जहां पर पूर्व बताये अनुसार नियत स्थान पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व साह--परिवादी श्री केवलराम चौधरी उपस्थित मिले। परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि " मैं जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व.श्री भंवरलाल शर्मा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ब्राहाम्णों का वास बनाड़, जिला जोधपुर का निवासी हूं, मेरे पिताजी श्री भंवरलालजी ने ईण्डसांड बैंक पावटा जोधपुर से जेसीबी मशीन पर करीबन 28 -29 लाख का लोन लेकर मशीन खरीदी थी, लोन के समय आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाईफ इन्शोरेन्स कम्पनी से बीमा उसी समय करवाया था। मेरे पिताजी की दिनांक 02.01.2023 को मृत्यु हो गई। जेसीवी मशीन की बकाया राशि का लोन नियमानुसार बीमा होने से माफ हो जाता है, इस लोन के माफ हेतु मैंने करीबन दो महिने पहले ईण्डसंड बैंक पावटा जोधपुर में आवेदन जमा करवाया था, तथा जरूरी कागजात भी दिये थे। दिनांक 01.05.2023 को बीमा कम्पनी के दो अधिकारी कृष्ण कुमार मीणा व सत्येन्द्र पांचल बीमा क्लेम की कोस जांच हेतु मेरे घर आये तथा बीमा क्लेम करवाने के लिये मेरे से बकाया लोन का 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की गई। मैं मेरे इस जायज काम के बदले इन दोनो बीमा कम्पनी के अधिकारीयों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। इन दोनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेंरी इन दोनो से कोई रंजिश नही है, तथा ना हि कोई लेन-देन उधार आदि भी बकाया है। रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें"। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ की गई तो उसने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि मेरे पिताजी नें इण्डसइण्ड वैंक से लोन पर जे.सी.बी. मशीन खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन मेरे पिताजी के नाम से है। मेरे पिताजी जे.सी.बी. मशीन के लोन की किश्त समय-समय पर बैंक में जमा करवाते रहते थे। मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 02.01.2023 को हो गयी। जे.सी.बी. मशीन खरीद के समय लोन पर आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी द्वारा बीमा करवाया हुआ था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद इस बीमे के क्लेम हेतु मैंने इण्डसइण्ड बैंक पावटा जोधपुर में आवेदन फार्म भरकर जमा करवा दिया तथा आवश्यक कागजात भी साथ ही जमा करवाये थे। दिनांक 01.05.2023 को मेरे मोबाईल नं. 80056-55308 पर मोबाईल नं. 9829695154 से कॉल आया तथा कॉल करने वाले नें मुझे बताया कि मैं आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी से बोल रहा है, आपके घर का पता बताऐ। जिस पर मैंने उनको मेरे घर का पता बताया। दिनांक 02.05.2023 को दो व्यक्ति मेरे घर आये, जो स्वयं को आई.सी.आई.सी. आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकारी बताते हुए मेरे पिताजी के बीमा क्लेम की कोस जांच हेतु आना बताया। उस समय मैंने उनके द्वारा मांगे गये सारे दस्तावेजात उनको दिये। मेरे द्वारा उनका नाम पूछने पर उन्होने आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी से ही आना बताया, जबकि उन्होने अपना नाम नहीं बताया। उन्होने मुझे कहा कि आपको मिलना हो तो मिल लेना, हम यहीं जोधपुर में ही है और वो मेरे घर से चले गये। मैं दिन में उनसे मोबाईल पर वार्ता कर उनसे मिलने का स्थान पता कर मिला तो उन्होने बीमा क्लेम करवाने की ऐवज में क्लेम राशि का 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत मांगी और उन्होने कहा कि 50,000 रूपये रोकड़ व शेष राशि जो 25 प्रतिशत के हिसाब से बनती है, उसका चैक दे सकते है। उसके बाद मैंने यह बात मेरे गांव के ही मिलने वाले श्री केवलराम चौधरी को बतायी तथा मैंने कहा कि मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और इनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं, वो अपना नाम पता मुझे नहीं बता रहे है। इसके बाद मैंने व श्री केवलराम चौधरी नें इन बीमा कम्पनी के जांच अधिकारियो का नाम-पते की इधर-उधर से मालुमात की तो इनका नाम श्री कृष्णकुमार मीणा व सत्येन्द्र पांचल नाम होना जानकारी में आया। परिवादी की रिपोर्ट व उसके बताये उक्त तथ्यो से मामला प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराह लाये गये कार्यालय हाजा के

डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन एंव उपयोगिता के बारे में परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा एवं सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी को भली भांति समझाईश कर वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड हमराह श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर परिवादीगण के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिये परिवादी के निजी वाहन से वक्त 05:15 पी.एम. पर बनाड़ से रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वहीं मुकिम रहा। वक्त 07.35 पी.एम पर श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक हमराह परिवादी व सह-परिवादी बाद गोपनीय सत्यापन के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। श्री चम्पालाल ने बंद हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि हम आपके पास से रवाना हुए तथा रास्ते में ही परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा ने इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता कर मिलने का स्थान पूछा तो उन्होने डालीबाई मन्दिर के पास स्थित राजयोग होटल में मिलना बताया। जिस पर हम उनके बताये स्थान पर पहुंचे। मैंने होटल के बाहर ही वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा को सुपुर्द किया तथा मैं होटल के बाहर ही उतर गया। परिवादी व सह परिवादी दोनो गाड़ी को होटल के बाहर ही खड़ी कर होटल के अन्दर गये। करीब 40 मीनिट बाद परिवादी व सह परिवादी होटल से बाहर आये तथा मेरे से मिलकर मुझे डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। उसके बाद वहां से रवाना होकर हम तीनो आपके पास आये है। जिस पर परिवादी व सह परिवादी नें मुख्य आरक्षक के बताये तथ्यो की तायद करते हुए बताया कि हम होटल के अन्दर गये तथा होटल में उनसे मिले तो उन दोनो इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकारियो नें बीमा क्लेम करवाने के लिये हमसे बीमा क्लेम राशि का 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की। बाद में हमारे द्वारा विनती करने पर उन्होने 20 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि देना तय किया। हमारे द्वारा उनके नाम के बारे में जानकारी कर ली थी, फिर भी हमने उनका नाम पूछा तो उन्होने नाम बताने से आनाकानी करते हुए आई.सी. आई.सी.आई. इंशोरेन्स कम्पनी की तरफ से जांच अधिकारी होना बताया। फिर भी वार्ता के दौरान उनके द्वारा आपस में नाम एक का सुनिल शर्मा व दूसरे का नाम रावत बोल रहे थे। ये दोनो व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहे है। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद पूछताछ वॉयस रिकार्डर चालू कर मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में रिश्वत राशि मांग से सम्बंधित वार्ता होना पाया गया। रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें बन्द कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। चूंकि अब रात्री का समय हो गया है। अतः मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें मांग सत्यापन के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी व सह परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ लेकर दिनांक 03.05.2023 को एसीबी कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आने का कहकर परिवादीगण को रवाना किया। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को भी ब्यूरो चौकी पाली के लिये रवाना किया तथा मन् अति पुलिस अधीक्षक मुकीम जोधपुर ही रहा।

वक्त 11.00 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फीकरा का गया हुआ मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर व हमराह ले गया आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित जोधपुर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आया। परिवादी की रिपोर्ट पर की गई अग्रिम कार्यवाही के कम में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी करने का निर्णय लिया गया। वक्त 11.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से ब्यूरो स्टॉफ की आवश्यकता पर ए.सी.बी. कार्यालय पाली प्रथम के अति. पुलिस अधीक्षक को स्टाफ हेतु निवेदन किया गया। जिस पर ए.सी.बी. कार्यालय प्रथम से श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. व धर्माराम कानि उपस्थित आये। वक्त 01.00 पी.एम. पर श्री धर्माराम कानिस्टेबल को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को एक कागज पर शब्द-बशब्द लिखवाने हेतु निर्देशित कर पाबन्द किया गया कि रिकार्डर में रिकार्ड सगरत वार्ता को सुन-सुनकर हुबहु शब्दो को अक्षरशः एक कागज पर लिखे। वक्त 03.05 पी.एम. पर श्री पूनाराम कानि. 165 को स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु आयुक्त नगर परिषद पाली के नाम से तहरीर देकर रवाना किया गया। वक्त 03:30 पी.एम. पर श्री पूनाराम कानि. 165 नगर परिषद पाली से स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज निम्बेड़िया

कनिष्ठ अभियंता व श्री घनश्याम सोलंकी कनिष्ठ लिपिक को साथ लेकर ए.सी.बी. कार्यालय उपस्थित आया। चूंकि परिवादी व सह परिवादी अब तक उपस्थित नही आये है अतः जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वार्ता की गई तो उन्होनें रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर शीघ्र ही ए.सी.बी. कार्यालय उपस्थित आने का कहा। परिवादी व सह परिवादी उपस्थित नहीं होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रान्सक्रीप्ट बनाया जाना विधि सम्मत नहीं होने से परिवादी व सह परिवादी के उपस्थित आने पर ट्रान्सक्रीप्ट बनायी जायेगी। स्वतंत्र गवाहान को मुख्यालय नही छोड़ने एवं बुलाने पर शीघ्र ही एसीबी कार्यालय पाली द्वितीय उपस्थित आने हेतु पावन्द कर अपनी सकुनत के लिये रवाना किया गया। वक्त 08:00 पी.एम. पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा एवं सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आये तथा उन्होने रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथा लेकर आना बताया। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 04.05.2023 का करने का निर्णय लिया जाकर परिवादीगण व ब्यूरो स्टाफ एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 04.05.2023 को प्रातः 07:00 बजे ए.सी.बी. कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 9.00 पी.एम. तक श्री धर्माराम कानिस्टेबल नें निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकार्डर व डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को कागज पर शब्द–व–शब्द अक्षरशः लिखकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। वक्त 07:05 ए.एम. पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा, सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ कार्य्यालय हाजा पर उपस्थित आये। मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज व घनश्याम सोलंकी का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें दोनो गवाहो को दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान नें परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित रिकॉर्डिंग को वॉयस रिकार्डर/कम्प्युटर के माध्यम से दोनो स्वतंत्र गवाहान को वार्ता सुनायी गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान नें परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन एवं मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित अंशो को सुनकर ब्यूरों द्वारा की जाने वाली उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति दी। जिस पर दोनो गवाहान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कागज पर श्री धर्माराम कानि. द्वारा लिखी जा चुकी है। उक्त लिखे गये शब्दो की परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा, सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का शब्द–व–शब्द हुबहु अक्षरशः व उसका हिन्दी अनुवाद मेरे निर्देशानुसार कानि. धरमाराम द्वारा तैयार करना प्रारम्भ किया गया। वक्त 08:30 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी पाली प्रथम से तलबिदा श्री दशरथ सिंह कानि. एवं श्री नरेन्द्र कानि. आयोजित ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 08:45 ए.एम. पर पैरा उपरोक्त के अनुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादीगण के सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्तालाप जो कि रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से तीन पेनड्राईव तैयार किये। उक्त मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तीनो पेनड्राईव को खुली हालत में रखा गया। परिवादी एवं सह परिवादी ने अपनी तथा इंशोरेन्स कम्पनी के श्री कृष्ण कुमार मीणा व सत्येन्द्र पांचल के आवाज की पहचान की। सगरत विवरण फर्द मे अंकित किया। मूल मैमेरी कार्ड सिल्डशुदा व तीन पेन ड्राईव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। वक्त 08:50 ए.एम. पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा नें दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं सह परिवादी के रूबरू अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये व एक चैक मन् अति. पुलिस अधीक्षक

को पेश किया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट व फिनोपथलीन पाऊडर की क्रिया–प्रतिक्रिया श्रीमति कौशल्या महिला कानि. से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोपथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादीगण को रिश्वत राशि लेन–देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा दो–तीन बार सिर पर हाथ फेरकर करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया। वक्त 10:11 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह लक्ष्मणदान हैड कानि, श्री धर्माराम कानि. मेरे निजी वाहन से, श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री दादूदान कानि, श्री नरेन्द्र कानि, श्री दशरथ सिंह कानि व स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम सोलंकी के सरकारी बोलेरो वाहन से एवं परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा, सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी, श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, श्री पूनाराम कानि व स्वतंत्र गवाह श्री शिवराज के जरिये परिवादी के निजी वाहन से मय ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित आवश्यक उपकरण/सामग्री, डीजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेगेारी कार्ड, ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर, कम्प्युटर आदि आवश्यक उपकरणो सहित लेन–देन की अग्रिम कार्यवाही हेतु ए.सी.बी. थाली से बनाड़ जिला जोधपुर की तरफ रवाना हुए तथा नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. कौशल्या को कार्यालय की निगरानी हेतु पीछे छोडा गया। वक्त 11:30 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सोडेर रोड़ बनाड़ पहुंचा। जहां पर समस्त ट्रेप पार्टी को एकान्त में रूकवाकर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से आरोपी श्री कृष्णकुमार की उपस्थिति के बारे में जानकारी हेतु परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल पर जरिये वाट्सऐप कॉल वार्ता करवायी तो आरोपी श्री कृष्णकुमार नें जोधपुर से जयपुर जाने वाली रोड़ पर बनाड़ गांव में स्थित सरकारी स्कूल के सामने मिलने के लिये बुलाया। परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी के बतायेनुसार दोनो परिवादीगण को इनके द्वारा बनाड़ गांव में ही मंगवायी गई मोटरसाईकिल से रिश्वत राशि लेन–देन हेतु रवाना किया तथा इनके पीछे–पीछे परिवादी के गाड़ी से श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं श्री पूनाराम व स्वतंत्र गवाह शिवराज को रवाना किया। श्री चम्पालाल हैड कानि. को निर्देशित किया कि आरोपी द्वारा बुलाये गये स्थान से पहले परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा को लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने के लिये वॉयस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उक्त वाहन में ही बैठे रहकर रिश्वत राशि आदान प्रदान को देखने का प्रयास करे। श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम सोलंकी, श्री दादूदान कानि., श्री नरेन्द्र कानि, श्री दशरथ सिंह कानि सरकारी बोलेरो वाहन से आरोपी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचने के निर्देश देकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मणदान हैड कानि., धर्माराम कानि. के अपने निजी वाहन से आरोपी के बताये स्थान हेतु रवाना हुआ। वक्त 12:00 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय हमराहियान के आरोपी द्वारा बताये गये स्थान जोधपुर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर पहुंचा जहां पर सरकारी स्कूल के सामने ही एक वड़ के पेड़ के नीचे राफैद रंग की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अपने निजी वाहन को भी उक्त स्थान से जयपुर की तरफ कुछ दूरी पर ले जाकर गाड़ी को वापस जोधपुर की और घुमाकर खड़ा कर दिया। हमराह श्री धर्माराम कानि. को गाड़ी से उतारकर आरोपी की खड़ी गाड़ी की तरफ पैदल रवाना किया तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक व शेष हमराहियान गाड़ी में बैठे रहकर ही परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सरकारी वाहन में ही लेन–देन वाले स्थान से जोधपुर की तरफ वाहन खड़ा कर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहे। मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी व सह परिवादी को वड़ के पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा तथा दोनो परिवादी उस गाड़ी में बैठ गये।

वक्त 12:10 पी.एम. पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा नें रिश्वत राशि आदान प्र[illegible]न के आरोपी श्री कृष्ण कुमार की गाड़ी में ही होने के पश्चात् गाड़ी से उतरकर परिवादी [illegible]श्री जितेन्द्र शर्मा नें गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् अति. पु[illegible]स अधीक्षक व हमराह समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य अपने अपने वाहनो से वड के पेड के नीचे [illegible]ड़ी आरोपी की गाड़ी के पास पहुंच अपने अपने वाहनो को खड़ा कर आरोपी की गाड़ी के [illegible]स पहुंचे तो पास ही खड़े परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर [illegible]च ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा नें बताया कि "ड्राईवर [illegible] की सीट पर बैठा व्यक्ति ही कृष्णकुमार मीणा है, जिन्होने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 50[illegible]00 रूपये नगद व एक चैक लिया, जिसको श्री केवलराम चौधरी नें इनके कहेनुसार 3,70[illegible]00 रूपये की राशि भरकर इनको दिया है, जो इन्होने प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की [illegible]यी जेब में रखे है। इसके बाद मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर रिश्वत राशि आदान–प्रदान [illegible]का गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर आपको किया। तत्पश्चात् मन् अति. पु[illegible]स अधीक्षक द्वारा उक्त गाडी के ड्राईवर सीट पर बैठे एक व्यक्ति को अपना व ह[illegible]न समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसनें अपना [illegible]श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री शैतान सिंह मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी गांव मुण्डिया खे[illegible]स थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल अधिकृत सर्वेयर आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडिन्शिय[illegible]फ इंशोरेन्स कम्पनी होना बताया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री [illegible]न्द्र शर्मा से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री कृष्ण कुमार नें [illegible] कि मैंने अभी अभी श्री जितेन्द्र शर्मा से 50,000 रूपये नगद व राशि 3,70,000 रूपये का एक [illegible]क प्राप्त किया है, जो मेरे पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में है। उक्त स्थान आम [illegible] व सार्वजनिक स्थान होने से भीड़भाड़ होने के कारण अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान को [illegible]जर रखते हुए अग्रिम कार्यवाही पंचायत भवन बनाड़ में संपादित करने का निर्णय लि[illegible]कर आरोपी श्री कृष्ण कुमार को उसकी गाड़ी से उतारकर सुरक्षा की दृष्टि से एक हा[illegible]राम कानि. एवं दूसरा हाथ श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पकडवाये जाकर [illegible]ति. पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन में बिठाकर पंचायत भवन की तरफ वक्त 12:19 [illegible] पर रवाना हुऐ तथा पार्टी के अन्य सदस्यो को भी अपने–अपने वाहनो से एवं आरोपी [illegible]ष्ण कुमार की गाड़ी को भी पंचायत भवन में साथ लेकर आने हेतु निर्देशित किया गया। [illegible]ात् वक्त 12:25 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशु[illegible]यत कार्यालय बनाड़ पर पहुंचा, जहां पर महिला सरपंच श्रीमति सुआदेवी तांडी का प्रति[illegible]का पुत्र श्री चौथाराम तांड़ी उपस्थित मिला, जिसको मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अप[illegible]चय देते हुए ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित अग्रिम कार्यवाही संपादित करने हेतु जगह [illegible]का कहा तो उन्होने पंचायत भवन का एक कक्ष खोलकर दिया। जिस पर मन् अ[illegible]लस अधीक्षक एवं हमराह लाये गये आरोपी श्री कृष्ण कुमार, समस्त ट्रेप पार्टी के स[illegible]हित पंचायत भवन में प्रवेश हुऐ तथा अग्रिम कार्यवाही संपादित करना शुरू किया गया। [illegible]ति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः हमराह लाये गये आरोपी श्री कृष्ण कुमार को अपना व [illegible]ास का परिचय देते हुए कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री जिते[illegible] से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की गई तो उसनें बताया कि मैं [illegible]का अधिकृत सर्वेयर हूं। मुझे वीमा ऐजेन्सीयो द्वारा ऐसे बीमा क्लेम की पत्रावलियां देकर [illegible]रने के लिये कहा जाता है। इसी प्रकार श्री जितेन्द्र शर्मा के पिताजी भंवरलाल की मृत्यु [illegible]ात् उसके बीमा क्लेम से सम्बंधित सर्वे करने के लिये यह पत्रावली भी उदयपुर के [illegible]रेश कलाल जो कि आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकृ[illegible] है, जिन्होने मुझे मेरे मोबाईल पर सर्वे से सम्बंधित दस्तावेजात भेजे तथा सर्वे के लि[illegible]शित किया। तत्पश्चात् परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से रिश्वत राशि आरोपी श्री कृष्ण कुम[illegible]पने हाथो से प्राप्त कर अपनी पहने हुऐ पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखे है। इस [illegible]ोपी श्री कृष्णकुमार मीणा के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कार्याल[illegible]यत भवन बनाड़ से पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से कांच के दो स[illegible]ास निकलवाकर गिलासों में पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का घोल तैयार [illegible]या।

उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे हाजरिन ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के घोल में कृष्ण कुमार मीणा के दाहिनें व बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को अलग-अलग गिलासों में डुबोकर धुलवाया गया तो दोनों गिलासों के धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे संबंधितों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त दोनो गिलासों के घोल को अलग-अलग साफ चार शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर चारों शीशियों पर मार्क क्रमशः आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से प्राप्त की गई रिश्वत राशि व चैक आरोपी श्री कृष्ण कुमार ने अपने पहनी हुई पेन्ट के आगे की बांयी जेब में रखना बताया। जिस पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री शिवराज से आरोपी श्री कृष्णकुमार की जेब में से रिश्वत राशि व चैक निकलवाये जाकर पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर तथा चैक का विवरण हुबहु होना पाया गया। उक्त बरामदशुदा चैक जो कि फर्द पेशकशी में राशि नहीं भरी होकर खाली चेक दिया गया था, जिसमें अब राशि 3,70,000 रूपये भरी हुई होने से उक्त 3,70,000 रूपये भरने के बारे में पूछने पर पास ही खड़े सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी नें बताया कि मैं व श्री जितेन्द्र शर्मा रिश्वत राशि देने के लिये श्री कृष्ण कुमार की गाड़ी में बैठे तब श्री जितेन्द्र शर्मा नें रिश्वत राशि व चैक आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा को दिये। उस समय मैंने आरोपी श्री कृष्णकुमार को खाली चैक होने का कहा तो उन्होने राशि भरने का कहा, तो मैंने कहा कितनी राशि भरू, तब इन्होने जोड़ कर 3,70,000 रूपये भरने का कहा। जिस पर मैंने इस चैक में राशि 3,70,000 रूपये भरे। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सह परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो के बारे में पूछने पर आरोपी नें भी इन तथ्यो को स्वीकार किया। उक्त चैक की पुश्त पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् बरामदशुदा रिश्वत राशि 50,000 रूपये नगद तथा चैक को नियमानुसार एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शिल्ड मोहर किया जाकर थैली पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री कृष्णकुमार नें रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेन्ट के आगे की बांयी जेब में रखी, जहां से रिश्वत राशि व चैक बरामद किये गये थे। उक्त पेन्ट के जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री कृष्ण कुमार को उसके साथ अन्य पेन्ट या पाजामा होने का पूछने पर उसने बताया कि मेरी गाड़ी में पाजामा है, जिसको निकलवाया जाकर पहनने हेतु दिया गया तथा आरोपी की पेन्ट को उतरवाकर पेन्ट की तलाशी ली गई तो कोई राशि/वस्तु/दस्तावेजात वगेरह नहीं मिले। उक्त पेन्ट के आगे की बांयी जेब को उलटवाकर विधिवत तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलावी हो गया, जिसे सभी हाजरीन नें भी गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को भी दो कांच की साफ शीशियां में आधा-आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशियो पर मार्क क्रमशः पी-1, पी-2 अंकित किये गये। आरोपी के उक्त पेन्ट की जेब पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफैद कपडे की थैली में शिल्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त धोवन की शीशियां व आरोपी के पेन्ट की शिल्डशुदा थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया।

तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री कृष्णकुमार से पूछा कि दिनांक 02.05.2023 को आपके साथ एक अन्य व्यक्ति कौन था, जिस पर श्री कृष्ण कुमार नें बताया कि सत्येन्द्र पांचल थे, जो नर्सिंग अधिकारी राजकीय चिकित्सालय प्रताप नगर जोधपुर में नौकरी करते है। आज वो मेरे साथ नहीं आये। मेरे द्वारा श्री जितेन्द्र शर्मा से प्राप्त की गई रिश्वत राशि में से श्री सत्येन्द्र पांचल का भी हिस्सा है। इस राशि में से श्री नरेश कुमार कलाल को भी देनी है। आरोपी के बताये तथ्यो की तायद के कम में श्री नरेश कुमार कलाल से आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल से वाट्सऐप पर एक कॉल मोबाईल का स्पीकर ऑन कर करवाया गया, जो रिसिव नहीं हुआ तथा कुछ समय पश्चात् ही नरेश कुमार कलाल का आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल पर पुनः वाट्सऐप कॉल आया। उक्त कॉल मोबाईल में

हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। **इस वार्ता में श्री नरेश कुमार कलाल नें आरोपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में बात की तो श्री नरेश कुमार कलाल नें रिश्वत राशि प्राप्ति की सहमति देते हुए कहा कि अपने हिसाब से देख लो। आरोपी श्री कृष्णकुमार नें श्री नरेश कुमार कलाल से कहा कि ये एजेन्सी का नाम पूछ रहे है, जिस पर श्री नरेश कुमार नें कहा कि ऐजेन्सी का नाम नहीं बतायेंगे।** आरोपी श्री कृष्ण कुमार के पास दो स्मार्टफोन होना पाये गये, जिसमें से एक फोन वन प्लस कम्पनी का तथा दूसरा सेमसंग कम्पनी का होना पाया गया। पूछने पर आरोपी श्री कृष्ण कुमार ने उक्त दोनो मोबाईल फोन में सिम नं. 9829695454 (एयरटेल) व 9929909992 (एयरटेल) का होना बताया। आरोपी के दोनो मोबाईल फोन में मोबाईल नं. 9829695454 से परिवादी के मोबाईल पर वाट्सऐप चैट/कॉल्स भी होना पाया गया है। आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल में प्रकरण से सम्बंधित ठोस साक्ष्य होने से उक्त दोनो मोबाईल वास्ते [illegible] सबूत होने से कब्जा ए.सी.बी. लिये जाकर खुली हालत में रखा गया। इस चैट के अवलोकन से आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल में नरेश कुमार कलाल के नम्बर +919821[illegible]44 "Sir Naresh Kalal Udaipur Sir" के नाम से कोन्टेक्ट लिस्ट व वाट्सऐप लिस्ट में सेव किये हुए है तथा **इनकी आपस में हुई चैट वार्ताओ से स्पष्ट होता है कि श्री नरेश कुमार कलाल द्वारा आरोपी श्री कृष्णकुमार मीणा को बीमा क्लेम के सर्वे हेतु कई बार फोटो व [illegible] द्वारा निर्देशित किया गया है** तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें स्वयं के फोन से उक्त दर्ज वाट्सऐप चेट के फोटो लिया जाकर उक्त फोटो को प्रिन्ट आउट निकलवाकर प्रिन्ट पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। वाट्सऐप चेट के अवलोकन से पाया गया कि श्री नरेश कुमार कलाल नें आरोपी श्री कृष्ण कुमार को परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा के पिताजी श्री भंवरलाल के बीमा क्लेम की जांच हेतु Sunday को वक्त 07:2[illegible] ए.एम. पर भंवरलाल का आधार कार्ड भेजा। साथ ही उसी दिन वक्त 07:26 ए.एम. पर मेडीकल रिलिफ सोसायटी की पर्ची भी भेजी तथा आरोपी श्री कृष्णकुमार नें बताया कि मुझे श्री नरेश कुमार कलाल नें वाट्सऐप कॉल कर सूचित किया कि मेडीकल रिलिफ सोसायटी की [illegible] पर जो मोबाईल नम्बर लिखे है, उससे कॉल करके बात कर लो तथा इसका सर्वे कर मुझे [illegible] जो व इनके क्लेम की राशि ज्यादा है, इनसे इनके पक्ष में सर्वे करने के लिये क्लेम राशि का लगभग 20 से 25 प्रतिशत रिश्वत राशि लेने का कहा। इस प्रकार आरोपी श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर [illegible] श्री कृष्ण कुमार को भंवरलाल की पॉलिसी क्लेम के जांच हेतु अधिकृत किया गया [illegible] के कम में आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा परिवादी के पिताजी भंवरलाल के क्लेम [illegible] धित कार्यवाही करते हुए दस्तावेजात भी प्राप्त किये गये तथा परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट [illegible] की ऐवज में रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा [illegible] श्री कृष्ण कुमार से पुनः पूछने पर आरोपी श्री कृष्ण कुमार नें बताया कि मुझे श्री [illegible] कलाल द्वारा इस बीमा क्लेम से सम्बंधित जांच की कार्यवाही करने का कहा था। उसी के [illegible] मैंने कार्यवाही करते हुए उनके बतायेनुसार परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से संपर्क किया [illegible] नसे दस्तावेज प्राप्त किंये। मेरे साथ ही दिनांक 02.05.2023 को सत्येन्द्र पांचल जो [illegible] सींग अधिकारी राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर–जोधपुर के पद पर नौकरी करते है, [illegible] इस प्रकार के बीमा क्लेम से सम्बंधित जांच कार्यवाही में तथा किसी डैथ क्लेम सर्वे में [illegible] से सम्बंधित रिपोर्ट सरकारी अस्पतालो से प्राप्त करने में मेरी मदद करते है, जो दि[illegible]05.2023 को मेरे द्वारा बुलाये जाने पर परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व श्री केवलराम [illegible] से मिलने आये। उस समय सत्येन्द्र पांचल मेरे साथ ही था। उस दौरान सह परिवादी [illegible] राम द्वारा हमसे नाम पुछने पर मैंने मेरा नाम इनको राहुल व सत्येन्द्र पांचल नें [illegible] नाम जानबूझकर सुनिल शर्मा बताया व दोनो का आइसीआइसीआइ मे डेथ क्लेम [illegible] होना बताया। मैं इस प्रकार की बीमा क्लेम की कार्यवाहियो में मेडिकल से सम्बंधित [illegible] में अक्सर सत्येन्द्र पांचल की मदद लेता रहता हूं। इसके बदले में उनको कमीशन [illegible] रुपये दे देता हूं। मेरे द्वारा श्री जितेन्द्र शर्मा से प्राप्त किये गये रिश्वत के रूपयो में से [illegible] सत्येन्द्र पांचल व नरेश कुमार कलाल का भी हिस्सा है तथा मैंने नरेश कुमार कलाल के [illegible] ही

रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिसके सम्बंध में मैंने दौराने कार्यवाही श्री नरेश कुमा[illegible]ाईल पर वार्ता कर तस्दीक करवा दी।

तत्पश्चात् आरोपी श्री कृष्ण कुमार के गाडी नं. आर.जे. 32 सी[illegible] की स्वतंत्र गवाहान से तलाशी लिवाशी गई तो आरोपी की गाडी में आरोपी का पर[illegible] स्वयं का एस.बी.आई. बैंक क्रेडीट कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं ड्राईविंग ला[illegible]ंजाब नैशनल बैंक का मास्टरकार्ड, बजाज फाईनेन्स का क्रेडीट कार्ड व नगद राशि[illegible] रूपये पाये गये। उक्त नगद राशि 3500 के बारे में आरोपी से पूछने पर उसने बताया [illegible] राशि स्वयं के खर्चे पानी के लिये है, जिसको सही मानते हुए आरोपी कृष्णकुमार के क[illegible]ृथक से जरिये सुपुर्दगी लौटाये जायेंगे। **आरोपी के उक्त वाहन की तलाशी में एक [illegible] का कागज का लिफाफा मिला, जिसमें स्वयं का ड्राईविंग लाईसेन्स व आई.सी.आ[illegible] बैंक का क्रेडिट कार्ड, यूको बैंक का एक चैक नं. 000016 खाता सं. 109901100[illegible]जिसमें राशि 1,75,000 रूपये भरी हुई तथा ओमप्रकाश के नाम पर ओमप्रकाश के हस्त[illegible] हुए है तथा उक्त चैक पर दिनांक अंकित नहीं है। दूसरा चैक नं. 0000[illegible] सं. 50100550399657 जो खाली है तथा पवन पुरी के नाम पर पवन पुरी के हस्त[illegible] हुए है। चैक पर दिनांक अंकित नहीं है। चैक के पुश्त भाग पर भी पवन पुरी के दो[illegible] किये हुए है। गाड़ी में ही एक प्लास्टिक फोलिया में क्लेम से सम्बंधित अलग–अलग [illegible]ibery declaration format दस्तावेजात मिले,** जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. पॉलिसी नं. 00006421 जो कि श्री मेघाराम के नाम से जिस पर दिनां[illegible]2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर चतरा के हस्ताक्षर किये हुए है[illegible]
2. पॉलिसी नं. 68491115 जो कि श्री राकेश के नाम से जिस पर दिनांक 13.0[illegible]ंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर दयाराम के हस्ताक्षर किये हुए है।
3. पॉलिसी नं. डी.एम.आर. 23000000628808 जो कि श्री खेताराम के नाम[illegible] पर दिनांक 16.03.2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर अंगुष्ठ [illegible] किया हुआ है।
4. पॉलिसी नं. 00006438 जो कि श्री धुडाराम के नाम से जिस पर दिनां[illegible]2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर ओमप्रकाश के हस्ताक्षर किये हु[illegible]
5. पॉलिसी नं. 90857789 जो कि श्री महेन्द्र कुमार के नाम से जिस पर दिनां[illegible]2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर निर्मला के हस्ताक्षर किये हुए [illegible]
6. पॉलिसी नं. जी.टी.पी.ई. 00000031814 जो कि श्री स्वरूपी के नाम से जि[illegible]दिनांक 20.04.2022 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर स्वरूपी के हस्त[illegible] हुए है।
7. पॉलिसी नं. डी 6811906 जो कि श्री मीना कंवर के नाम से जिस पर दिना[illegible]2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर मांगीलाल मीणा के हस्ताक्षर कि[illegible]।
8. पॉलिसी नं. बी 4504039 जो कि श्री भंवरलाल के नाम से जिस पर दिना[illegible].2023 अंकित की हुई तथा क्लाईमेन्ट सिगनेचर पर अंगुष्ठ निशान किया हुआ है।

इन उपरोक्त क्र. सं. 01 से 08 तक में वर्णित समस्त दस्तावेजातो के [illegible]ग पर शपथ पत्र बयान लिखे जाकर हस्ताक्षरित है।

9. तीन कागजात जो क्रमशः प्रिती अग्रवाल दिनांक 21.03.2023, कालाराम व[illegible] फकीर दिनांक 26.03.2023 अलग–अलग के हस्ताक्षरित हस्तलेखनी में लिखे हुए [illegible]ात भी पाये गये।

उपरोक्त क्रम सं. 01 से 09 तक में वर्णित समस्त दस्तावेजात [illegible]ो मूल चैक प्रकरण में साक्ष्य के रूप में होने से उक्त दस्तावेजात पर सम्बंधितान के [illegible]करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिये गये। उपरोक्त दस्तावेजात के बारे में आरोपी श्री [illegible]ार से पूछा तो उसने बताया कि यह दस्तावेजात बीमा क्लेम से सम्बंधित ही है, जो [illegible] क्लेम की जांच हेतु श्री नरेश कुमार कलाल ने बताया था तथा उसी के कहेनुसार [illegible]ावेजात इकट्ठे किये है। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित अन्य सामान तथा नगद रा[illegible] रूपये आरोपी श्री कृष्ण कुमार के कहेनुसार पृथक से जरिये सुपुर्दगी लौटाये जायें[illegible] राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री कृष्ण कुमार ही आया था तथा अन्य आरोपी श्री स[illegible]ल को

दस्तयाब करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता भेजा गया श्री जो आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल को दस्तयाब कर पंचायत भवन बनाड़ पर उपस्थित आये। मन अति. पुलिस अधीक्षक नें आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल को अपना परिचय देकर कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सत्येन्द्र पांचल पुत्र श्री घेवरराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 129, रविदास नगर झंवर रोड़ जोधपुर हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर होना बताया। आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल को आरोपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 02.05.2023 को मैं श्री कृष्ण कुमार के साथ ही था। उस दिन श्री जितेन्द्र शर्मा व श्री केवलराम चौधरी राजबाग होटल में हमसे मिले थे। हमनें इनसे जितेन्द्र के पिताजी के बीमा क्लेम पास करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की थी। उस समय इन दोनो नें हमसे हमारा नाम पूछा था लेकिन हम दोनो नें इनको अपना नाम नहीं बताया। मैं श्री कृष्ण कुमार को पिछले 02--03 साल से जानता हूं। ये आई.सी.आई.सी.आई. इंशोरेन्स में काम करते है। **मैं श्री कृष्णकुमार मीणा के डैथ क्लेम सर्वे में डैथ सम्बंधी सरकारी अस्पतालो में रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु इसकी मदद करता रहता हूं। मैंने इनके कहने से ही रिश्वत राशि की मांग की वार्ता श्री कृष्णकुमार के लिये नाम बदलकर" सुनिल शर्मा" बनकर की थी। मैं स्वीकार करता हूं कि दिनांक 02.05.2023 को श्री जितेन्द्र शर्मा व श्री केवलराम चौधरी से मैंने इस राशि में कुछ राशि तो हम दोनो का हिस्सा है व बाकी समस्त राशि कम्पनी के उच्चाधिकारियो का होना बताया था। कम्पनी के उच्चाधिकारियो के बारे में श्री कृष्णकुमार मीणा जानते है। उच्चाधिकारियो के बारे में आरोपी श्री कृष्णकुमार को पूछने पर उसने बताया कि इनके बारे में सारी जानकारी श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर को पता है, उनके कहने पर ही मैंने व सत्येंन्द्र पांचल नें रिश्वत राशि व चैक की मांग की थी।**

तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर लेन–देन सत्यापन वार्ता को सुना गया तो वॉयस रिकार्डर में लेन–देन सम्बंधी वार्ता स्पष्ट होना पायी गयी। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में अन्य आरोपी श्री नरेश कुमार कलाल जो कि उदयपुर में है, इसकी भूमिका संलिप्तता स्पष्ट होने से दस्तयाब हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया। जिसके दस्तयाब होने पर दौराने अनुसंधान विस्तृत अनुसंधान किया जाकर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर लेन–देन वार्ता को सुना गया तो वॉयस रिकार्डर में लेन–देन सम्बंधी वार्ता स्पष्ट होना पायी गयी। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में अन्य आरोपी श्री नरेश कुमार कलाल जो कि उदयपुर में है, इसकी भूमिका संलिप्तता स्पष्ट होने से दस्तयाब हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया। जिसके दस्तयाब होने पर दौराने अनुसंधान विस्तृत अनुसंधान किया जाकर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की जाकर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 03:45 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक प्रकरण में आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी जोधपुर से वांछित रिकार्ड प्राप्त करने हेतु आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी जोधपुर के पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी में स्थित कार्यालय से जरिये पत्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। वक्त 04:50 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक व परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी तथा स्वतंत्र गवाहान के घटना स्थल पर पहुंच परिवादीगण की निशादेंही पर घटनास्थल का मोका मुआयना कर फर्द घटनास्थल नजरी नक्शा तैयार की जाकर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् आरोपी श्री कृष्णकुमार मीणा अधिकृत सर्वेयर आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी तथा श्री सत्येन्द्र पांचल नर्सिंग अधिकारी राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जाप्ते पृथक–पृथक प्रथम फर्दात के गिरफ्तार किया गया तथा फर्द गिरफ्तारी पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नरेश कुमार कलाल के बारे में आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकारियो से जानकारी ज्ञात की गई तो ज्ञात हुआ कि श्री नरेश कुमार कलाल जो कि Delhi Bassed Credentials का एम्पलोई है, जो डुंगरपुर का रहने वाला है तथा उदयपुर में इस कम्पनी का कार्य देखता है और हमारी आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी उक्त कम्पनी से डेथ क्लेम के कार्य करवाती रहती है तथा श्री नरेश कुमार कलाल को हम डेथ क्लेम सर्वे के कार्य देते रहते है। आरोपी श्री कृष्णकुमार मीणा पूर्व में हमारे आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी का जोधपुर में डेथ क्लेम से सम्बंधित कार्य करता था, जिसके बारे में कम्पनी को शिकायते मिलने पर श्री कृष्णकुमार मीणा को कम्पनी से निकाल दिया गया। वर्तमान में हो सकता है श्री कृष्णकुमार मीणा श्री नरेश कुमार कलाल के कहेनुसार जोधपुर में हमारी कम्पनी के डेथ क्लेम से सम्बंधित सर्वेयर का कार्य करता होगा। आरोपी श्री कृष्णकुमार के पास उसकी गाड़ी में से बरामद हुऐ डैथ क्लेम से सम्बंधित दस्तावेजात, जो श्री कृष्णकुमार द्वारा डैथ क्लेम के सर्वे की कार्यवाही संपादित की गई है, उक्त दस्तावेजात में अंकित बीमा पॉलिसीया आई.सी.आई.सी.आई. कम्पनी द्वारा सर्वे हेतु किसे दी गई, से सम्बंधित सूचना प्राप्ति हेतु पृथक से पत्र जारी किया जाकर आई.सी.आई.सी.आई. कम्पनी को प्रेषित किया जायेगा।

वक्त 06:25 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त हुई वार्ता एवं लेन–देन के पश्चात् आरोपी कृष्णकुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर के लिये लिया जाना बताने से उक्त तथ्यो की तायद हेतु आरोपी कृष्णकुमार के मोबाईल से नरेश कुमार कलाल के मोबाईल पर वाट्सऐप कॉल करवाया जाकर मोबाईल का स्पीकर चालू कर वार्ता करवायी गई तथा उक्त वार्ता को भी ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। उक्त वॉयस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित है, जिसकी फर्द ट्रान्सकीप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता एवं लेन–देन के पश्चात् आरोपी कृष्णकुमार व आरोपी नरेश कुमार कलाल के मध्य मोबाईल वाट्सऐप पर हुई वार्ताओ की फर्द ट्रान्सकीप्ट बनाया जाना शेष होने से उपस्थित दोंनो गवाहान एवं परिवादी व सह परिवादी के रूबरू ब्यूरो के कम्प्युटर के माध्यम से सुन–सुनकर एवं समझ–समझकर शब्द–ब–शब्द हुबहु अक्षरशः ट्रान्सकीप्ट व हिन्दी अनुवाद तैयार करना प्रारम्भ किया गया जो वक्त 08:00 पी.एम. तक तैयार कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ताओ का कम्प्युटर के माध्यम से तीन पेनड्राईव तैयार किये गये। तत्पश्चात् रिश्वत राशि लेन–देन एवं लेन–देन के पश्चात की वार्ताऐ रिकार्ड करने में प्रयुक्त मेमोरीकार्ड को वॉयस रिकार्डर से निकालकर एक सफैद कपडे की थैली में डालकर प्रकरण का विवरण अंकित किया गया तथा थैली पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त तीनो पेनड्राईव खुली हालत में रखे गये। रिकार्ड वार्ताओ में परिवादी एवं सह परिवादी ने स्वयं की तथा आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा के आवाज की पहचान की। साथ ही वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के पश्चात् आरोपी व नरेश कुमार कलाल के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ताऐ जो रूबरू गवाहान ही होने से आवाज इन दोनो की ही होना स्पष्ट है।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया कि परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा के पिताजी श्री भंवरलाल शर्मा के पॉलिसी क्लेम राशि दिलवाने की ऐवज में आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर द्वारा उसके परिचित श्री कृष्णकुमार मीणा जो कि जोधपुर क्षेत्र में बीमा क्लेम से सम्बंधित सर्वेयर का कार्य श्री नरेश कुमार कलाल के निर्देशानुसार करता है, को नरेश कुमार कलाल नें परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा के पिताजी श्री भंवरलाल का

बीमा क्लेम सर्वे रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया तथा उस बाबत् श्री कृष्ण कुमार के मोबाईल पर वाट्सऐप मैसेज पर आवश्यक दस्तावेजात व संपर्क नम्बर भेजे गये। जिसके क्रम में श्री कृष्ण कुमार द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजात प्राप्त किये गये तथा उसके पक्ष में जांच रिपोर्ट भेजने के लिये क्लेम राशि का 25 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई जिसके क्रम मे इस रिश्वत राशि मांग की रिपोर्ट परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा व सह परिवादी श्री केवलराम चौधरी ने ब्यूरो पाली को दी। जिसके क्रम में ब्यूरो द्वारा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा क्लेम राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से मांग करना तय हुआ। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल द्वारा भी आरोपी श्री कृष्ण कुमार के कहेनुसार रिश्वत राशि मांग करने में सहयोग कर रिश्वत राशि की मांग की गई। इस प्रकार उपरोक्त दोनो आरोपितगण द्वारा परिवादी के जायज कार्य के बदले रिश्वत राशि श्री नरेश कुमार कलाल के कहेनुसार आरोपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा श्री नरेश कुमार के लिये, अन्य उच्चाधिकारियो व स्वयं के लिये मांग की गई तथा मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि की आरोपी श्री नरेश कुमार द्वारा सहमति दी गई तथा आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल द्वारा डैथ क्लेम सर्वे रिपोर्ट में मेडीकल व अस्पताल से सम्बंधित कार्यो में मदद करना तथा इसी ऐवज में रिश्वत राशि मांग करने मे आरोपी श्री कृष्ण कुमार का सहयोग किया व आरोपी श्री कृष्णकुमार मीणा तथा सत्येन्द्र पांचल द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडेंशियल लाईफ इंशोरेन्स के उच्चाधिकारियो के लिये रिश्वत की मांग करना पाया गया। रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में आज दिनांक 04.0_.2023 को रिश्वत राशि के नगद 50,000/- रूपये व चैक जिसपर 3,70,000/- रूपये अंकित किये हुए प्राप्त किये, जो ब्यूरो द्वारा आरोपी श्री कृष्ण कुमार के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयी जेब से बरामद किया जाने से उपरोक्त आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, _ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी सर्व श्री (1) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री शैतान सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी गांव मुण्डिया खेड़ा पुलिस थाना मुण्डावर जिला अलवर, हाल अधिकृत सर्वेयर आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडिन्शियल लाईफ इंशोरेन्स कम्पनी (2) सह आरोपी श्री सत्येन्द्र पांचल पुत्र श्री घेवरराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 129, आदेश्वर नगर झांवर रोड़ जोधपुर हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर एवं (3) श्री नरेश कुमार कलाल उदयपुर अधिकृत कार्मिक Delhi Bassed Credentials Agency, Udaipur, निवासी डुंगरपुर के विरूद्व धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

_/_/2023

(पारस सोनी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली-द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री कृष्ण कुमार, हाल अधिकृत सर्वेयर आई.सी.आई.सी.आई. प्रोडिन्शियल लाईफ इंश्योरेन्स कम्पनी व 2. श्री सत्येन्द्र पंचल, हाल नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर एवं 3. श्री नरेश कुमार कलाल, उदयपुर अधिकृत कार्मिक Delhi Bassed Credentials Agency, Udaipur निवासी डूंगरपुर के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 108/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.5.23

(योगेश चौधरी)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 822-25 दिनांक 05.05.2023
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. निदेशक(अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

5.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।